

## राजस्व आदेश अनुवृत्ति- पत्र

रा.प्र.क. 202501092100033 अ/62 वर्ष 2024-25

09/04/2025

2

3

1. प्रकरण पेश।
2. प्रकरण का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक के आवेदन एवं साथ में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न खसरा नंबर 66/2 में उक्त सागौन वृक्ष का पंजीयन एवं प्रविष्टि नहीं किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियमों के प्रावधान अनुसार आवेदक को इसका उपभोग करने हेतु अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पंजीयन के अभाव में आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।
4. प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफतर हो।

अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.) डोंगरगढ़